

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

सुगनाराम बनाम अमराराम
 किस्म मुकदमा दावा (53,108) मु.नं. 197 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/9/2024	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 31.10.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
31/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वाले तलबी जरिये Reg. को. डि. 24/11/25 को पेश हो।</p>
24/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 25/11/24 को पेश हो।</p>
25/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित। वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई। इन्हें के बावजूद न्यायालय समय में लायेंकल तक भी वकील वादी व वादी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्तर पर अदम पेंसी। अदम हाजिरी में (वारिम डिम जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली कैंसल शुमार होकर बाद तकमील कायिल फर्स्ट हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

